

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या-11/आ०4-1054/2025- 1429

पटना, दिनांक- 14/2/26

CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर दिनांक-02.12.2025 को की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के पारू प्रशाखा अन्तर्गत कुल 554 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 515 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 39 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 109 अदद शिकायतों को Reopen किया गया जो उक्त तिथि तक लंबित थी। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 37 अदद पायी गयी। इसके अतिरिक्त 157 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया।

02. वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षापरांत CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-2377, दिनांक-03.12.2025 द्वारा श्री अनीश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर, प्रशाखा-पारू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

03. निलंबन के पश्चात श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-212, दिनांक-28.01.2026 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य, दिनांक-20.02.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण एवं पत्रांक-शून्य, दिनांक-24.06.2026 द्वारा निलंबन से मुक्ति संबंधी याचना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा अधिक समय से निलंबित रहने के कारण परिवार का भरण पोषण करने में अत्यंत कठिनाईयों का सामना करने एवं आर्थिक तथा मानसिक स्थिति दयनीय होने का हवाला देते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

04. श्री कुमार से प्राप्त निलंबन मुक्ति से संबंधित याचना अभ्यावेदन में आर्थिक एवं मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय रहने का उल्लेख किये जाने के मद्देनजर श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि निलंबनावधि में देय वेतन भत्ते एवं सेवा विनियमन का निर्णय उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

५१४

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अनीश कुमार निलंबित कनीय अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गयाजी को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

05. निलंबन मुक्ति के पश्चात श्री कुमार विभागीय मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर-
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1054/2025-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर-
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1054/2025- 1429

पटना, दिनांक 14/7/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)/(कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, गयाजी/अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री अनीश कुमार निलंबित कनीय अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गयाजी/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

हस्ताक्षर-
13/7/26